POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 22.08.2024

थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी आईएएस बनकर ठगी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 फर्जी आईएएस विजिटिंग कार्ड, 01 रिवाल्वर मय 06 कारतूस, 01 पिस्टल मय 16 कारतूस, 01 सैमसंग टेबलेट, 04 मोबाइल फोन, स्विफ्ट डिजायर कार व 01 आधार कार्ड बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.08.2024** को थाना फेस-1 पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना की सहायता से कार्रवाई करते हुए फर्जी आईएएस बनकर ठगी करने वाले 04 अभियुक्त 1.कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र कमलेश 2.प्रवीन पुत्र रामकुमार 3.सतेन्द्र पुत्र कैलाश 4.सचिन पाठक पुत्र राजेश पाठक को हरौला चौकी के पास तिराहे से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 07 फर्जी आईएएस विजिटिंग कार्ड, 01 रिवाल्वर .32 मय 06 कारतूस .32 बोर, 01 पिस्टल .32 बोर मय 16 कारतूस .32 बोर (जिन्हे बिना लाईसेन्स के लेकर घूम रहे थे), 01 टेबलेट सैमसंग कम्पनी, 04 मोबाइल फोन, 01 आधार कार्ड व 01 स्विफ्ट डिजायर कार रजि0न0 यूपी 84 ए.टी 7378 बरामद की गयी है जिस पर भारत सरकार अंकित है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त उपरोक्त फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर विभिन्न विभागो में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारीगण को अपने अधिकारी होने के प्रभाव में लेकर कार्य कराने के नाम पर लोगो से धोखाधड़ी करते हुये पैसा वसूली करते थे तथा रोब गांठते थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1. कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र कमलेश निवासी अहरोली बगेल, थाना बनकटा, जिला देवरिया, उ0प्र0।
2. प्रवीन पुत्र रामकुमार निवासी आदर्श कॉलोनी मुल्ला होटल, जिला फरीदाबाद।
3. सतेन्द्र पुत्र कैलाश निवासी भैसरोली थाना भौगांव, जिला मैनपुरी, उ0प्र0।
4. सचिन पाठक पुत्र राजेश पाठक निवासी कुरावली, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 385/2024 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 171, 3(5) बी0एन0एस0 व धारा 30 आयुध अधिनियम थाना फेस-1 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 07 फर्जी आईएएस विजिटिंग कार्ड
2- 01 रिवाल्वर .32 बोर मय 06 कारतूस .32 बोर
3- 01 अदद पिस्टल 32 बोर मय 16 अदद कारतूस 32 बोर
4- 01 टेबलेट सैमसंग कम्पनी का बरामद
5- 04 मोबाइल बरामद
6- 01 आधार कार्ड